

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 175]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.डीडी/30/08/डीसी/31/09.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार **श्री एम. राजकुमार, (सदस्यता सं. 023308), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 29, पहला तल, पुष्पा नगर मेन रोड, नुन्गाम्बक्कम, चेन्नई-600034** को अनुशासन बोर्ड द्वारा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित] की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थात्तर्गत आने वाले वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है और बोर्ड ने यह आदेश किया था कि पूर्वोक्त श्री एम. राजकुमार, (सदस्यता सं. 023308) के नाम को छह (6) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **श्री एम. राजकुमार (सदस्यता सं. 023308) का नाम तारीख 2 मई, 2016 से छह (6) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./57]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2016

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/30/08/DC/31/09.—In terms of the provisions of Section 21B(3) read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, **Shri M. Rajkumar (M.No. 023308), Chartered Accountant, 29, 1st Floor, Pushpa Nagar Main Road, Nungambakkam, Chennai – 600 034** has been found guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part 1 of Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Disciplinary Committee which ordered for removal of the name of aforesaid Shri M. Rajkumar (M.No. 023308) from the Register of Members for a period of six (6) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **Shri M. Rajkumar, (M.No.023308), shall stand removed from the Register of Members for a period of six (6) months with effect from 2nd May, 2016.**

V. SAGAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./57]